राजस्थान सरकार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

वार्षिक प्रगति/प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2018

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF ANTI CORRUPTION BUREAU, RAJASTHAN

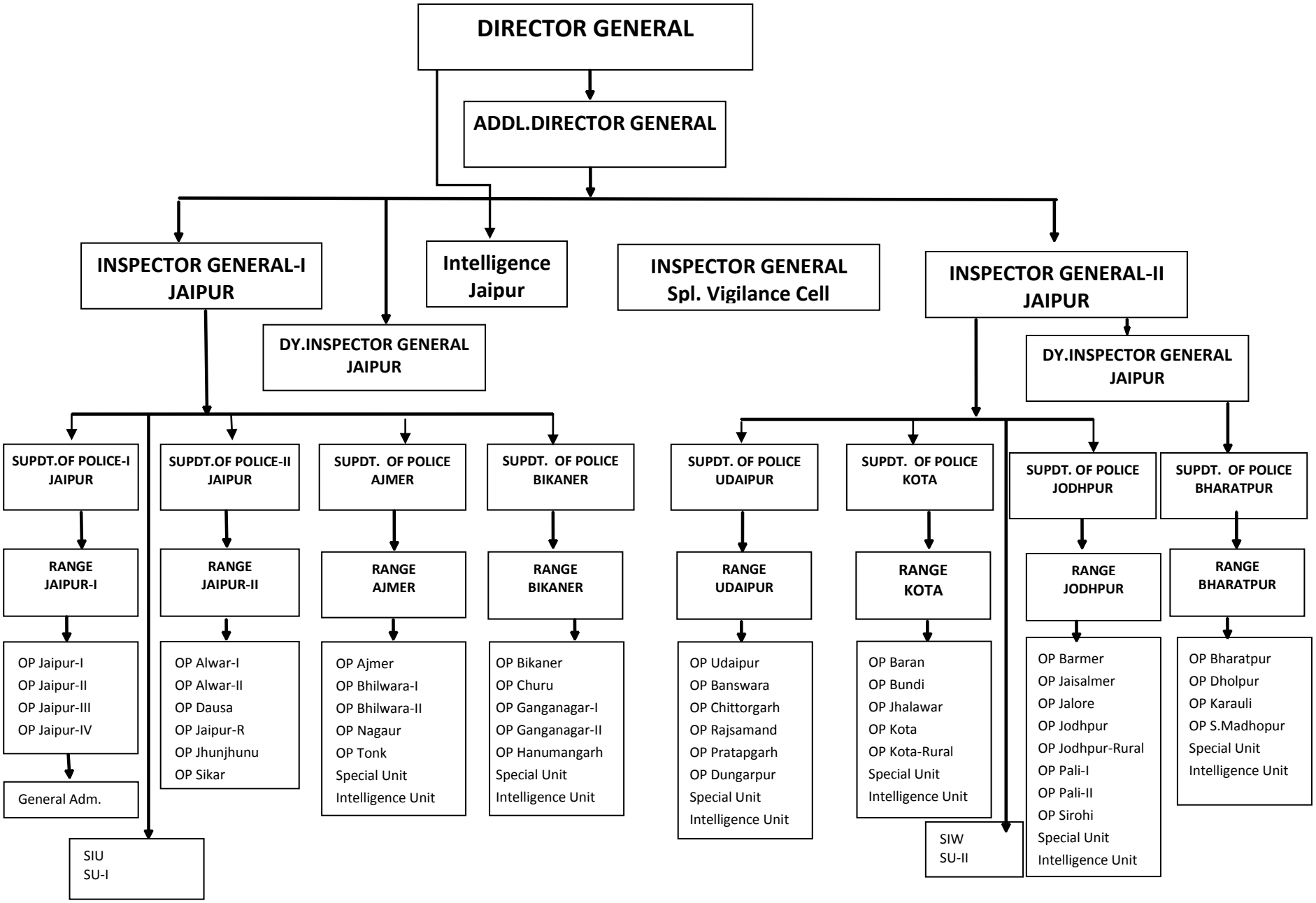

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.स.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	महानिदेशक	01	01	—
2.	अति0 महानिदेशक	01	—	01
3.	महानिरीक्षक पुलिस	03	01	02
4.	उप महानिरीक्षक पुलिस	02	01	01
5.	पुलिस अधीक्षक	08	06	02
6.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	60	24	36
7.	उप अधीक्षक पुलिस	31	27	04
8.	पुलिस निरीक्षक	98	40	58
9.	उप निरीक्षक पुलिस	35	04	31
10.	सहायक उप निरीक्षक पुलिस	26	15	11
11.	मुख्य आरक्षक	86	74	12
12.	आरक्षक	558	453	105
13.	आरक्षक ड्राईवर	105	92	13
14.	वित्तीय सलाहकार	01	01	—
15.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	01	—
16.	आर.ए.एस.(उप निदेशक राजस्व)	02	01	01
17.	अधिशाषी अभियंता(उप निदेशक तकनीकी)	01	—	01
18.	उप निदेशक अभियोजन	02	02	—
19.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	01	—	01
20.	निजी सचिव	01	01	—
21.	सहायक परीक्षक अधिकारी	01	—	01
22.	लेखाधिकारी	01	—	01
23.	अतिरिक्त निजी सचिव	01	—	01

24.	जन सम्पर्क अधिकारी	01	01	—
25.	प्रोग्रामर	01	—	01
26.	सहायक विधि परामर्शी	01	01	—
27.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	—
28.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	—	01
29.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	05	02	03
30.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।	03	02	01
31.	निजी सहायक	07	03	04
32.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	19	09	10
33.	कनिष्ठ लेखाकार	01	01	—
34.	शीघ्र लिपिक	10	—	10
35.	वरिष्ठ सहायक	38	25	13
36.	सूचना सहायक	03	01	02
37.	कनिष्ठ सहायक	68	68	—
38.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	17	08	09
	कुल योग	1202	865	337

प्रमुख कार्य

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों एवं राजकीय प्रतिष्ठानों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करना है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु किये जा रहे कार्यों के अन्तर्गत भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करना, सूत्र सूचनायें एकत्रित कर उनको विकसित एवं सत्यापित करना, अपराधों का अन्वेषण करना, रिश्वत प्राप्त करने वाले लोक सेवकों को रंगे हाथों पकड़ना, राजकीय पद का दुरूपयोग करने वाले तथा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करना है।

प्रशासन

राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की 43 चौकियां स्थापित हैं इनमें से 05 जयपुर में स्थापित हैं। सभी जिलों पर स्थापित चौकियों में प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं। विशेष अभियोगों का अनुसंधान करने के लिए पृथक से स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग/यूनिट ब्यूरो के मुख्यालय पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त ब्यूरो मुख्यालय जयपुर में 2 स्पेशल यूनिट, रेंज स्तर पर 6 स्पेशल यूनिट एवं 6 इन्टेलीजेंस यूनिट कार्यरत हैं।

वर्ष में किये गये महत्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियाँ

वर्ष 2018 में कुल 372 अभियोग पंजीबद्ध किये गये, जिनमें से ट्रेप के 246, पद के दुरूपयोग के 114 एवं आय से अधिक परिसम्पतियाँ अर्जित करने के 12 प्रकरण हैं। माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में से वर्ष 2018 के अन्त तक 127 प्रकरणों में आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राज्य सरकार की मंशानुरूप भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही की गई जिसमें प्रमुख विभाग एवं उनके कार्मिकों के विरूद्ध की गई प्रभावी कार्यवाहियों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

(अ) ट्रेप के प्रकरण

पुलिस विभाग

1. श्री बसंत सिंह, उप निरीक्षक पुलिस एवं अन्य को 1,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 54/2018 दिनांक 08.03.2018 को पंजीबद्ध किया गया।
2. श्रीमती बबीता, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना शिप्रा पथ, जयपुर दक्षिण एवं अन्य को 5,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 222/2018 दिनांक 08.08.2018 को पंजीबद्ध किया गया।
3. श्री सत्यनारायण सिंह, उप निरीक्षक पुलिस, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना सीसवाली, जिला बारां व अन्य को 20,000 रू की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 329/2018 दिनांक 26.11.2018 को पंजीबद्ध किया गया।
4. श्री महेश जोशी, उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना चारभुजा, जिला राजसमंद को 40,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 91/2018 दिनांक 17.04.2018 को पंजीबद्ध किया गया।
5. श्री लूणाराम, हैड़ कानि0 837 पुलिस थाना बोरानाडा, पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर को 22,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 341/2018 दिनांक 12.12.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

राजस्व विभाग

6. श्री संजय जैन, पटवारी हल्का, नून्दरीमालदेव, अति. चार्ज नया नगर, तहसील ब्यावर, अजमेर को 50,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 90/2018 दिनांक 17.04.2018 को पंजीबद्ध किया गया।
7. श्री रामवीर सिंह, गिरदावर, वृत्त हेलक, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर को 35000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 147/2018 दिनांक 26.05.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

ऊर्जा विभाग

8. श्री मनोज कुमार देवडा, सहायक अभियंता, पवस, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर एवं अन्य को 25,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 14/2018 दिनांक 17.01.2018 को पंजीबद्ध किया गया।
9. श्री कन्हैयालाल रैगर, अधिशाषी अभियंता, सतर्कता, वृत जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर एवं अन्य को 20,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 25/2018 दिनांक 30.01.2018 को पंजीबद्ध किया गया।
10. श्री विष्णुप्रसाद सैन, टैक्नीकल लाईनमेन, इंटलनेट ग्लोबल कम्पनी से ठेके पर अनुबंन्धित जेवीवीएनएल, कोटा एवं अन्य को 1,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 84/2018 दिनांक 13.04.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

खनिज / वन विभाग

11. श्री विजय शंकर जयपाल, खनिज अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, अलवर एवं अन्य को 5,98,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 110 / 2018 दिनांक 08.05.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

स्थानीय निकाय विभाग

12. श्री किशनलाल कुमावत, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, नावांसिटी, जिला नागौर को 2,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 59 / 2018 दिनांक 15.03.2018 को पंजीबद्ध किया गया।
13. श्री भरत कुमार हरितवाल, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डावा, झुंझुन को कुल 54,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 67 / 2018 दिनांक 22.03.2018 को पंजीबद्ध किया गया।
14. श्री संदीप कुमार विश्नोई, लेखाकार एवं कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका संगरिया, हनुमानगढ़ एवं अन्य को 50,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 72 / 2018 दिनांक 26.03.2018 को पंजीबद्ध किया गया।
15. श्री बबीता चौहान, सभापति, नगर परिषद, ब्यावर, जिला अजमेर एवं अन्य को 2,25,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 223 / 2018 दिनांक 09.08.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

आबकारी विभाग

16. श्री कमलेश परमार , सहायक आबकारी अधिकारी, हाल जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी एवं अन्य को 2,50,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 139 / 2018 दिनांक 18.05.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

चिकित्सा विभाग

17. श्री मदनमोहन शर्मा, वरिष्ठ सहायक, राजकीय चिकित्सालय, हिण्डौनसिटी, जिला करौली को 20,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 71 / 2018 दिनांक 23.03.2018 को पंजीबद्ध किया गया।
18. श्रीमती जयतादास गुप्ता, हाल मुल्यांकन अधिकारी, राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसाएटी, जयपुर, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, जयपुर एवं अन्य को 45,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 65 / 2018 दिनांक 21.03.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

पंचायती राज विभाग

19. श्री समय सिंह गुर्जर, विकास अधिकारी, पंचायत समिति बयाना, जिला भरतपुर को 40,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 46 / 2018 दिनांक 28.02.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

20. श्री भरतराम शर्मा, सरपंच, ग्राम पंचायत भांगडोली, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर को 1,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 212/2018 दिनांक 27.07.2018 को पंजीबद्ध किया गया।
21. श्रीमती सवरी देवी (बाई), सरपंच, ग्राम पंचायत बागुण्ड, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़ एवं अन्य को 1,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 263/2018 दिनांक 17.09.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

वाणिज्य कर विभाग

22. श्री महावीर सिंह आसीवाल, उपायुक्त, प्रतिकरापवंचन, वाणिज्य कर भवन, भरतपुर को 50,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 294/2018 दिनांक 22.10.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

23. श्री शायर सिंह, निरीक्षक एन्टीविजन (सीजीएसटी), कार्यालय आयुक्त, सैन्ट्रल गुड्स एवं सर्विस टैक्स, अलवर को 1,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 301/2018 दिनांक 24.10.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

24. श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चूरू को 34,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 75/2018 दिनांक 30.03.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

25. श्री हेमाराम विश्नोई, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रानीवाडा, जिला जालौर को 1,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 185/2018 दिनांक 03.07.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

कृषि विभाग

26. श्री प्यारेलाल, अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा एवं अन्य को 1,40,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 247/2018 दिनांक 31.08.2018 को पंजीबद्ध किया गया।
27. श्री महावीर कुमार जैन, अधिशाषी अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर एवं अन्य को 1,43,500 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 323/2018 दिनांक 17.11.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

औषधी विभाग

28. श्री विजय कुमार सिंघल, सहायक औषधी नियत्रंक, झुंझुनू को 20,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 352/2018 दिनांक 20.12.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

शिक्षा विभाग

29. श्री शचीन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियंता (सिविल कन्सलटेंट), कार्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान रेलमगरा एवं अन्य को 34,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 353/2018 दिनांक 21.12.2018 को पंजीबद्ध किया गया।

(ब) पद के दुरूपयोग के प्रकरण

राजस्व विभाग

30. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, तत्का0 राजस्व अधिकारी, नगर निगम, जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए राज्य सरकार को 10,95,888.80/–रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 104/18 दिनांक 02.05.2018 पंजीबद्ध किया गया।
31. श्री हरविन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़, जिला बीकानेर एवं अन्य द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए नियम विरूद्ध तरीके से भूमि का आवटंन कर राजकोष को 4,49,640/–रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 220/18 दिनांक 07.08.18 पंजीबद्ध किया गया।
32. श्री अनवर अली खां, तत्का0 उपखण्ड अधिकारी, मारवाड जंक्शन, जिला पाली एवं अन्य द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए भूमि का गैर कानूनी नामान्तरकरण कर अनुचित आर्थिक लाभ अर्जित कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 296/18 दिनांक 23.10.18 पंजीबद्ध किया गया।

रसद विभाग

33. श्रीमती निर्मला मीणा, आईएएस, तत्का0 कुल सचिव, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं तत्का0 सचिव, संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर एवं अन्य के विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अनाधिकृत एवं अवैद्य तरीके से विश्वविद्यालय के नाम पर लेनदेन कर राज्य सरकार को 2,00,00,000/–रू. की आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 201/18 दिनांक 20.07.2018 पंजीबद्ध किया गया।

राजसीको

34. श्री आर.एस. अग्रवाल, महाप्रबन्धक (विपणन), राजसीको उद्योग भवन, जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सप्लायर फर्मों से मिलीभगत कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 38/18 दिनांक 15.02.2018 पंजीबद्ध किया गया।

गृह विभाग (केन्द्रीय)

35. श्री पंकज कुमार मिश्रा, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य के विरूद्ध आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अवैद्य साधनों से पाक विस्थापितों को दीर्घकालीन वीजा पंजीकरण, वीजा फार्म व नागरिकता से सम्बंधित कार्यों के लिए अवैध लाभ कमाकर सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 140/18 दिनांक 18.05.2018 पंजीबद्ध किया गया।

स्थानीय निकाय विभाग

36. श्री अरूण प्रकाश शर्मा, आरएएस, तत्का0 सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर एवं अन्य के विरूद्ध आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए राज्य सरकार को लाखों रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 192/18 दिनांक 12.07.2018 पंजीबद्ध किया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग

37. श्रीमती उषा चौधरी, हाल उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास, नागौर हाल चार्ज उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, नागौर तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी मकराना, शहरी/ग्रामीण, नागौर एवं अन्य के विरूद्ध आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाते हुए राज्य सरकार को लाखों रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 213/18 दिनांक 29.07.2018 पंजीबद्ध किया गया।

शिक्षा विभाग

38. श्री बंशीलाल रोत, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, डूंगरपुर एवं अन्य के विरूद्ध आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाते हुए राज्य सरकार को लाखों रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 367/18 दिनांक 28.12.2018 पंजीबद्ध किया गया।

खान एवं भू–विज्ञान विभाग

39. श्री दीवान सिंह देवडा, अधीक्षण खनि अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान निदेशालय, जयपुरएवं अन्य के विरूद्ध आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाते हुए राज्य सरकार को लाखों रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 371/18 दिनांक 31.12.2018 पंजीबद्ध किया गया।

चिकित्सा विभाग

40. डॉ0 आर.एन. यादव, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा एवं अन्य के विरूद्ध आपसी मिलीभगत कर छात्रों की फर्जी उपस्थिति/बिलों को प्रमाणित कर अनियमित भुगतान करवाकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाते हुए राज्य सरकार को लाखों रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 368/18 दिनांक 28.12.2018 पंजीबद्ध किया गया।

(स) आय से अधिक सम्पति के प्रकरण

पुलिस विभाग

41. श्री हरीश चौधरी, उप निरीक्षक पुलिस, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान द्वारा नियम विरूद्ध 1,64,96,813 रूपये की आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के आरोप पर प्रकरण संख्या 82/2018 दिनांक 11.04.2018 पंजीबद्ध किया गया।

रसद विभाग

42. श्री निर्मला मीणा, आईएएस, तत्का0 जिला रसद अधिकारी, जोधपुर एवं अन्य द्वारा 70,02,000 रूपये की आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के आरोप पर प्रकरण संख्या 118/2018 दिनांक 10.05.2018 पंजीबद्ध किया गया।

वर्ष 2018 में माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के बाद 127 प्रकरणों में आरोपियों को सजा का निर्णय सुनाया गया, जिनमें से निर्णित महत्वपूर्ण प्रकरण निम्न हैः–

1. अभियोग संख्या 196/1998 में आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, एमबीएस चिकित्सालय, कोटा व अन्य को धारा 13(1)(ई), 13(2) पी.सी.एक्ट, 1988 में 7–7 वर्ष के कारावास एवं 50–50 लाख रूपये (कुल एक करोड़) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अदम अदायगी तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास ओर भुगतना होगा। धारा 120बी आईपीसी में छः–छः माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

2. अभियोग संख्या 153/1998 में आरोपी चिंरजीलाल किराड, तत्कालीन सरपंच, बाल्दा व केशव कुमार भार्गव, तत्कालीन प्रशासक, ग्राम पंचायत, बाल्दा को धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) पी.सी.एक्ट, 1988 में पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच लाख रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 409 आईपीसी में दस वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। दोनों में अदम अदायगी एक–एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और भुगतना होगा।

3. अपराध संख्या 41/06 में आरोपी श्री ओमप्रकाश बंसल, तत्कालीन प्रबंधक, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, कोटा व अन्य को धारा 13(1)(ई), 13(2) पी.सी.एक्ट, 1988 में छः वर्ष के कठोर कारावास एवं दस लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अदम अदायगी एक वर्ष का साधारण कारावास ओर भुगतना होगा। धारा 193, 120बी आईपीसी में तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

4. अपराध संख्या 283/2003 में आरोपी योगेन्द्र कुमार अग्रवाल, तत्कालीन सहायक अभियंता, जेवीवीएनएल, किशनगढ़बास, जिला–अलवर को धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) पी.सी.एक्ट, 1988 में चार–चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 5–5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अदम अदायगी छः–छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास और भुगतना होगा।

5. अपराध संख्या 309/14 में आरोपी अशोक कुमार यादव हाल उप निरीक्षक तत्कालीन एसएचओ थाना ततारपुर जिला अलवर को धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 में 4 साल के कठोर कारावास 5000 रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी 6 माह का साधारण कारावास, धारा 13(1)(डी), 13(2) पी.सी.एक्ट, 1988 में 4 साल का कठोर कारावास 5000 रूपये अर्थदण्ड अदम अदायगी 6 माह का साधारण कारावास और भुगतना होगा।

6. अपराध संख्या 33/01 में आरोपी महेन्द्र सिंह हाल निलम्बित रजिस्ट्रार कार्यालय भरतपुर को धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 में 3 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास, 1,000 रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी 3 माह का साधारण कारावास तथा धारा 13(1)(डी), 13(2) पी.सी एक्ट, 1988 में 3 वर्ष 6 माह का कठोर कारावास, 1,000 रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी 3 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

7. अपराध संख्या 253/02 में आरोपी मोतीराम, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कामां, जिला–भरतपुर को धारा 7 पीसी एक्ट, 1988 में 4 साल के कठोर कारावास, 10,000 रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी 6 माह का साधारण कारावास ओर भुगतना होगा।

8. अपराध संख्या 145/03 में आरोपी श्री हरगोविन्द निर्भीक, तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुल्तानपुर, जिला–कोटा को धारा 7 पीसी एक्ट, 1988 में 3 साल के कठोर कारावास, 10,000 रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी 3 माह का साधारण कारावास ओर भुगतना होगा।

9. अपराध संख्या 93/03 में आरोपी श्री जयप्रकाश सोनी, तत्कालीन वरिष्ठ लेखाधिकारी, नगर निगम, कोटा व आरोपी तुंगनाथ साहू, तत्कालीन सहायक कर्मचारी, नगर निगम, कोटा को धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 में प्रत्येक को तीन–तीन साल के कठोर कारावास एवं 5,000 रूपये अर्थदण्ड, 13(1)(डी), 13(2) पी.सी. एक्ट, 1988 व 120बी आईपीसी में 4 वर्ष का कठोर कारावास, 10,000 रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी 6 माह का साधारण कारावास ओर भुगतना होगा।

10. अपराध संख्या 272/11 में आरोपी श्री रतनलाल टुकलिया, वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर हाल रिटायर्ड व आरोपी श्री लेखराज, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर में प्रत्येक को धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 व 120बी में 2 साल के साधारण कारावास 5000 रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी 6 माह का साधारण कारावास, धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट, 1988 व 120बी आईपीसी में 2 साल का साधारण कारावास 5000 रूपये अर्थदण्ड अदम अदायगी 6 माह का साधारण कारावास भुगतेगा।

11. अपराध संख्या 42/10 में आरोपी डॉ. सुरेन्द्र कुमार बाहरी, तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कम मेडीकल ज्यूरिष्ट, महात्मा गांधी मेमोरियल राजकीय चिकित्सालय, हनुमानगढ़ टाउन को धारा 7 पीसी एक्ट, 1988 एवं धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट, 1988 में पृथक–पृथक 2–2 साल का कठोर कारावास, दस–दस हजार रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी 15–15 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

12. अपराध संख्या 396/14 में आरोपी शिवरतन भाटी, तत्कालीन आयकर निरीक्षक को धारा 7 पीसी एक्ट एवं धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट, 1988 प्रत्येक में पांच–पांच वर्ष का कठोर कारावास व 25000 रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

13. अपराध संख्या 116/03 में आरोपी सुरेश बिहारी माथुर, सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता, भूजल विभाग, जोधपुर को धारा 13(1)(डी), 13(2) पी.सी. एक्ट, 1988 में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,00,000 रूपये के अर्थदण्ड, अदम अदायगी छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

14. अपराध संख्या 39/06 में आरोपी बनवारीलाल, तत्कालीन तहसीलदार, तहसील–अकलेरा, जिला–झालावाड़ को धारा 7 पीसी एक्ट, 1988 में 3 साल के कठोर कारावास 10,000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 13(1)(डी), 13(2) पी.सी. एक्ट, 1988 में 4 साल का कठोर कारावास, 25,000 रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी क्रमशः तीन व छः माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

15. अपराध संख्या 261/05 में आरोपी डॉ. रविन्द्र सचदेवा, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, पीएचसी, खातोली, जिला–कोटा को धारा 7 पीसी एक्ट, 1988 में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट, 1988 में 4 साल का कठोर कारावास, 15,000 रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी क्रमशः तीन व छः माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

16. अपराध संख्या 195/96 में आरोपी श्री भैरूसिंह झाला, तत्कालीन सहायक वन संरक्षक, सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य धरियावद, जिला–उदयपुर को धारा 13(1)(ई), 13(2) पीसी एक्ट, 1988 में 4 साल के साधारण कारावास एवं 1,01,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अदम अदायगी 1वर्ष 9 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

17. अपराध संख्या 211/96 में आरोपी श्री प्रतापसिंह, तत्कालीन क्षेत्रिय वन अधिकारी, धरियावद, जिला–उदयपुर को धारा 13(1)(ई), 13(2) पीसी एक्ट, 1988 में 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं 20,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

परिवाद

वर्ष 2018 के आरम्भ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 951 परिवाद विचाराधीन थे। वर्ष 2018 में 580 परिवाद सत्यापन हेतु पंजीबद्ध किये गए। इस प्रकार कुल 1531 परिवाद विचाराधीन हुए। इनमें से 345 परिवादों का निस्तारण किया गया। जिसमें 77 परिवादों पर नियमित अभियोग पंजीबद्ध किये गये, 05 परिवाद पर विभागीय जाँच प्रस्तावित की गई एवं 36 परिवादों में प्रथम दृष्टया विभागीय स्तर का मामला होने पर संबंधित विभागों को यथोचित कार्यवाही हेतु लिखा गया। 227 परिवादों में आरोप सत्यापन से अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबद्ध किये गये। वर्ष 2018 के अन्त में 1186 परिवाद विचाराधीन रहे।

परिवाद से संबंधित तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका (वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5
1	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित परिवाद	678	826	951
2	वर्ष में दर्ज परिवाद	412	366	580
3	वर्ष में रिओपन किए गए परिवाद	01	—	—
4	वर्ष में कुल विचाराधीन परिवाद (क्रम संख्या 1+2+3 का योग)	1091	1192	1531
5	परिवाद पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट	33	47	77
6	परिवाद पर दर्ज प्राथमिक जांच	03	01	—
7	विभागाध्यक्षों को विभागीय कार्यवाही हेतु भेजे गये परिवाद	03	—	05
8	विभागाध्यक्षों को उनके स्तर पर जांच करवाने हेतु भेजे गये परिवाद	38	17	36
9	आरोप अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबद्ध किये गये परिवाद	188	176	227
10	वर्ष में निस्तारण का योग (क्रम संख्या 5+6+7+8+9 का योग)	265	241	345
11	वर्ष के अन्त में लम्बित रहे परिवादों की संख्या (क्रम संख्या 4 – 10 का अंतर)	826	951	1186

प्राथमिक जांच

वर्ष 2018 के प्रारम्भ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 190 प्राथमिक जाँच विचाराधीन थी। वर्ष 2018 में 34 प्राथमिक जाँचे पंजीबद्ध की गई। इस प्रकार कुल 224 प्राथमिक जाँच विचाराधीन रही। वर्ष 2018 के अन्त तक 55 प्राथमिक जाँचों का निस्तारण किया गया। इनमें से 18 प्राथमिक जाँचों पर नियमित अभियोग पंजीबद्ध किये गए, 01 प्राथमिक जाँचों में दोषियों के विरूद्ध विभागीय जाँच संबंधित विभाग को प्रस्तावित की गई, 09 प्राथमिक जाँचों में विभागीय स्तर का मामला होने पर संबंधित विभागों को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई एवं 27 प्राथमिक जाँचों में आरोप अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबद्ध की गई। वर्ष 2018 के अन्त में 169 प्राथमिक जाँचे विचाराधीन रही।

प्राथमिक जांच से संबंधित तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका (वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5
1	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्राथमिक जांच	256	228	190
2	वर्ष में दर्ज प्राथमिक जांच	49	23	34
3	वर्ष में रिओपन की गई प्राथमिक जांच	01	—	—
4	वर्ष में कुल विचाराधीन प्राथमिक जांच (क्रम संख्या 1+2+3 का योग)	306	251	224
5	प्राथमिक जांच पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट	24	13	18
6	विभागाध्यक्षों को विभागीय जांच हेतु भेजी गई	—	02	01
7	विभागाध्यक्षों को कार्यवाही हेतु भेजी गई	22	15	09
8	आरोप अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबध्द की गई	32	31	27
9	वर्ष में निस्तारण का योग (क्रम संख्या 5+6+7+8 का योग)	78	61	55
10	वर्ष के अन्त में लम्बित रही प्राथमिक जांच (क्रम संख्या 4 — 9 का अन्तर)	228	190	169

अभियोग

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में वर्ष 2018 के प्रारम्भ में 1577 अभियोग विचाराधीन थे। वर्ष 2018 में कुल 372 अभियोग पंजीबद्ध किये गये, जिनमें 246 अभियोगों में अधिकारियों/कर्मचारियों को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, 12 अभियोग आय से अधिक सम्पत्ति के हैं एवं 114 अभियोग पद के दुरूपयोग से संबंधित हैं। वर्ष 2018 में न्यायालय के आदेश पर पुनः अनुसंधान हेतु 11 अभियोग रिओपन किए गए। इस प्रकार कुल 1960 अभियोग विचाराधीन रहे। वर्ष 2018 में 274 अभियोगों में सम्बन्धित न्यायालयों में चालान तथा 72 अभियोगों में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2018 के अन्त में कुल 1614 अभियोग विचाराधीन रहे।

अभियोग से संबंधित तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका (वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5
1	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित अपराध	1530	1550	1577
2	आलौच्य वर्ष में ट्रेप से दर्ज अपराध	290	291	246
3	आलौच्य वर्ष में आय से अधिक परिसम्पति रखने के दर्ज अपराध	19	15	12
4	आलौच्य वर्ष में पद के दुरूपयोग से संबंधित दर्ज अपराध	78	98	114
5	न्यायालय से पुनः अनुसंधान हेतु प्राप्त	06	05	11
6	वर्ष में कुल विचाराधीन अपराध (क्रम संख्या 2+3+4+5 का योग)	393	409	383
7	आलौच्य वर्ष में कुल विचाराधीन अपराध (क्रम संख्या 1+6 का योग)	1923	1959	1960
8	सक्षम न्यायालय में पेश चालान	284	289	274
9	सक्षम न्यायालय में पेश अंतिम प्रतिवेदन	89	93	72
10	कुल निस्तारित अपराधों की संख्या (क्रम संख्या 8+9 का योग)	373	382	346
11	वर्ष के अन्त में शेष बचे विचाराधीन अपराधों की संख्या (क्रम संख्या 7 – 10 का अंतर)	1550	1577	1614

अभियोजन स्वीकृति

वर्ष 2018 के प्रारम्भ में 151 अभियोग सक्षम प्राधिकारीगण के पास अभियोजन स्वीकृति हेतु विचाराधीन थे। वर्ष 2018 में 301 अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित किये गये। इस प्रकार कुल 452 अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव विचाराधीन थे। वर्ष के दौरान कुल 266 अभियोगों में अभियोजन स्वीकृति के बाबत निर्णय ब्यूरो को प्राप्त हुए। वर्ष 2018 के अन्त में कुल 186 अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारीगण के पास विचाराधीन है।

अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों की तीन वर्षों की स्थिति (वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5
1.	वर्ष के प्रारम्भ में पेण्डिंग अभियोजन स्वीकृति के अभियोगों की संख्या	216	124	151
2.	वर्ष में भेजी अभियोजन स्वीकृति के अभियोगों की संख्या	288	250	301
3.	क्रम संख्या 1+2 का योग	504	374	452
4.	वर्ष में अभियोजन स्वीकृति बाबत प्राप्त निर्णय	380	223	266
5.	वर्ष के अन्त में लम्बित (क्रम संख्या 3–4 का अंतर)	124	151	186

अभियोजन कार्य

वर्ष 2018 के आरम्भ में 3062 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन थे। वर्ष 2018 में 278 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गए। इस प्रकार कुल 3340 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहे, इनमें से 284 प्रकरणों का विभिन्न न्यायालयों से निस्तारण हुआ जिसमें से 127 प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा अभियुक्तों को सजा से दण्डित किया गया, 145 प्रकरणों में अभियुक्तों को बरी किया एवं 12 प्रकरण आरोपीगण की मृत्यु होने से ड्रोप हुए। वर्ष 2018 के अन्त तक 3056 प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहे।

अभियोजन से संबंधित तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका (वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5
1	वर्ष के प्रारम्भ में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की संख्या	2938	3025	3062
2	वर्ष में प्राप्त प्रकरणों की संख्या	271	290	278
3	न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की कुल संख्या (क्रम संख्या 1+2 का योग)	3209	3315	3340
4	सजा के प्रकरणों की संख्या	75	102	127
5	बरी के प्रकरणों की संख्या	85	121	145
6	ड्रोप हुए प्रकरणों की संख्या	24	30	12
7	कुल निस्तारित प्रकरणों की संख्या (क्रम संख्या 4+5+6 का योग)	184	253	284
8	वर्ष के अन्त में न्यायालय में शेष विचाराधीन रहें प्रकरणों की संख्या (क्रम संख्या 3 – 7 का अन्तर)	3025	3062	3056

वर्ष 2018 के आरम्भ में राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों में पेश की गई 1040 अपीलें/निगरानी विचाराधीन थी। वर्ष के दौरान 06 अपीलें/निगरानी ओर पेश की गई। इस तरह वर्ष 2018 में कुल 1046 अपीलें व निगरानी हुई। इनमें से 10 अपील/निगरानी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज/निस्तारण किया गया। वर्ष के अन्त में 1036 अपीलें/निगरानी विचाराधीन रही।